XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख स
1	2	3

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

विविध वाद संख्या–125/2011

बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी अन्तर्गत

श्री फागू हेम्ब्रम, पिता–स्व0 छोटका हेम्ब्रम, साकिन–कदम टोला बसगड़ा, थाना–रूपौली, जिला–पूर्णियाँ..............

आवेदक

आदेश

यह विविध अनुमति वाद बिहार कास्तकारी अधिनियम की धारा–49 (जी0) अन्तर्गत आवेदक द्वारा अपनी पुत्री के शादी के लिये मौजा–गनौली, थाना नं0–248/1, खाता नं0–31, खेसरा नं0–43, रकवा–0.52 डिसमिल जमीन मो0 ताहिर, पिता–स्व0 मो0 इमाम, साकिन–नया टोला बसगड़ा, थाना–रूपौली के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु दायर किया गया है।

इसमें आवेदक का कथन है कि उनके पिता के नाम से मौजा–गनौली, थाना नं0–248/1, खाता नं0–31, खेसरा नं0–43, रकवा–1.04 डिसमिल जमीन तथा मौजा–बसगड़ा, थाना नं0– 247/1, खाता नं0–97, रकवा–4.69 डिसमिल जमीन है। उनके पिता की मृत्यु हो चुका है। पिता के मरने के उपरान्त वे दोनों भाई फागू हेम्ब्रम एवं अनुपलाल हेम्ब्रम दखलकार है, जिसमें दोनों बराबर हिस्सेदार है।

इस संदर्भ में अंचलाधिकारी, रूपौली से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अंचलाधिकारी, रूपौली ने अपने पत्रांक 722, दिनांक 05.11.2011 द्वारा प्रतिवेदित किये है कि मौजा–गनौली, थाना नं0–248/1, खाता नं0–31, खेसरा नं0–43, रकवा–1.04 डिसमिल जमीन दो भाईयों के नाम से है, जिसमें से एक भाई आवेदक अपना हिस्सा बेचना चाहते है। मौजा– बसगड़ा, थाना नं0– 247/1, खाता नं0–97, खेसरा नं0–122, 123, 121, 119 इत्यादि में 2.34½ डिसमिल जमीन आवेदक के हिस्से में उपलब्ध है, जो उनके पिता स्व0 पिता के नाम से जमाबन्दी दर्ज 4.69 डिसमिल का हिस्सा है। इस प्रकार प्रस्तावित जमीन बिक्री के पश्चात भी आवेदक भूमिहीन नहीं होते है, वे अपनी लड़की की शादी के लिये जमीन बिक्री करना चाहते है। जमीन बिक्री करने हेतु अनुशंसा अंचलाधिकारी द्वारा किया गया है।

अतः अभिलेख में उपलब्ध सभी कागजातों के अवलोकनार्थ आवेदक को अपनी पुत्री की शादी करने हेतु प्रस्तावित भूमि के बिक्री की अनुमति दी जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ